कार्यालय
सामान्य वनमण्डल सीहोर

सीहोर-इछावर मार्ग, सीहोर (म.प्र.)466001 Mob-9424790850 E-mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मानचित्रकार/2023/193 सीहोर दिनांक 27/01/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग सीहोर।

विषयः- सीहोर जिले के परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण में प्रभावित वनभूमि 23.000 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने संबंध में।

संदर्भः- 1. वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल का पत्र क्रं/मा.चि./449 दिनांक 23/01/2023
2. कार्यालयीन पत्र क्र./मानचित्रकार/121 दिनांक 17.01.2023

--00--

विषयांतर्गत सदर्भ मे लेख है कि आपके द्वारा वनमंडल सीहोर के परिक्षेत्र रेहटी मे प्रस्तावित महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण के संबंध मे प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल को प्रेषित किया गया था जिसमे उनके सदर्भित पत्र से प्रस्ताव मे कमियां/त्रुटियो से अवगत कराया गया जिसमे कुछ बिदु कि पुर्ति आपके द्वारा कि जाना है-

1. वनभूमि पर आश्रित परिवारो तथा लोगो के विस्थापन की जानकारी संकलित कर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
2. प्रस्ताव के भाग-1 के अनुक्रमांक (B2.1) (B2.2) (B2.3) (B2.4) अनुसार प्रकरण मे उपरोक्त 36.141 हे0 वनभूमि के अतिरिक्त 34.576 हे0 राजस्व भूमि मे भी कोई राजस्व वनभूमि अर्थात् छोटे और बड़े झाड का जंगल तो नहीं इस आशय का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावें। ताकि बाद में कोई बांधा उत्पन्न न हो।
3. संलग्न मानचित्रों पर कोई Legend अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रभावित वनक्षेत्र, राजस्व वनक्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र डूबक्षेत्र इत्यादि कोनसा है होना चाहिए अतः कृपया तदानुसार मानचित्रो के Legend अंकित करे, जिससे मेप देखने पर एक नजर में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः बिंदुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव इस कार्यालय को पुनः प्रेषित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

o/c

डॉ.अनुपम सहायभा.व.से.
वनसंरक्षक
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मानचित्रकार/2023/154 सीहोर, दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपिः- **वनसंरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल** की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनसंरक्षक
सामान्य वनमण्डल सीहोर

E:\VERMA\All Letter\LETTER…2023

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 449 भोपाल, दिनांक ~~20~~ 23 जनवरी 2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल सीहोर

विषयः– सीहोर जिले के परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माणार्थ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित, **23.000 हेक्टेयर वनभूमि** जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/माचि/121 दिनांक 17/01/2023

––––0––––

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत **महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माणार्थ व्यपवर्तन हेतु वन कक्ष क्रमांक 487 एवं 488 की कुल 23.000 हेक्टेयर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, प्रस्ताव ऑन लाईन सबमिट किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।**

प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं:–

1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग जिला सीहोर द्वारा परिक्षेत्र रेहटी में महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु 36.141 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन बावत् आवेदन किया गया। परन्तु आपके प्रतिवेदन अनुसार वनपरिक्षेत्र रेहटी के कक्ष क्रमांक–487 एवं 488 में कुल 23.000 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित होना है तथा शेष 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र, वन परिक्षेत्र रेहटी के बाहर, असीमांकित क्षेत्र है। अतः आपके द्वारा उक्त 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र को कम करके कुल 23.000 हेक्टेयर वनभूमि, के व्यपवर्तन की अनुमति हेतु ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।

जबकि प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 49 पर संलग्न स्थल निरीक्षण के पंचनामा अनुसार **शेष 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र, खसरे में जंगल डिमारकेशन लिखा हैं।**

उल्लेखनीय हैं कि विविध याचिका क्र 202/95 श्री गोदावर्मन विरूद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/96 को पारित अंतरिम आदेश अनुसार वनभूमि का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि से हैं जो शब्दकोषीय अर्थ अनुसार "वन" हैं, जिसमें ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि शासकीय अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो। **अतः उक्त 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र पर भी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार 23.00 हे0 वनक्षेत्र एवं 13.141 हे0 राजस्व वनक्षेत्र कुल 36.141 हे0 वनक्षेत्र के व्यपवर्तन की अनुमति हेतु स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।**

2. ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग 1 के अनुक्रम (F) Displacement of People due to the Project, if any में आवेदक द्वारा No लेख किया गया हैं। जबकि आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिंदु क्र/12 , 13 एवं 14 अनुसार उक्त वनभूमि पर आश्रित लोगो/परिवार का विस्थापन होना हैं।

3. इसी प्रकार प्रस्ताव के भाग 1 के अनुक्रम (B2.1), (B2.2), (B2.3), (B2.4) अनुसार प्रकरण में उपरोक्त 36.141 हे0 वनभूमि **के अतिरिक्त 34.576 हे0 राजस्व भूमि भी प्रभावित हो रही है।** अतः उचित होगा कि उक्त 34.576 हे0 राजस्व भूमि में भी कोई राजस्व वनभूमि अर्थात छोटे बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं हैं, इस आशय का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे, ताकि बाद में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

4. संलग्न मानचित्रों पर कोई legend अंकित नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि प्रभावित वनक्षेत्र, राजस्व वनक्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र, डूबक्षेत्र इत्यादि कोनसा हैं होना चाहिए, अतः कृपया तदानुसार मानचित्रों में legend अंकित करे। जिससे मेप देखने पर एक नजर में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव मूलतः वापस किये जाते हैं। कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति/समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर, पूर्ण रूपेण प्रस्ताव ऑन लाईन, प्रस्तुत कर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति 3 प्रति में उसी दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मा.चि.

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

सामान्य वनमंडल सीहोर
आवक क्रं 421
दिनांक 27-1-23

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc

27/1/23

पृष्ठांकन क्रमांक/माचि/ 450 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

प्रतिलिपिः—

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

2. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ ।

3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित्।

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

20/1/23

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc